



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श0)

(सं0 पटना 367) पटना, बृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

3 मार्च 2021

सं0 5 न0वि0/गठन-14/2020-1005/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ बक्सर जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर परिषद् बक्सर का क्षेत्र विस्तार, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4350 दिनांक 26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद्, बक्सर का क्षेत्र विस्तार करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :-

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम/थाना नं0	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद् बक्सर	सारीमपुर 333 अहिरौली 335 निरंजनपुर 334 जासो 330 सोहनीपट्टी 331 मिश्रवलिया 325 पाण्डेयपट्टी 324 गोप नुआँव 318 बड़का नुआँव 319 बीबीगंज 323	अहिरौली, पाण्डेयपट्टी छोटका नुआँव एवं जासो	उत्तर-गंगा नदी दक्षिण-गुरुदास मठिया व मिश्रवलिया 325, रहसीचक 282 रेलवे लाईन पूरब- अहिरौली 325, जासो 330 पश्चिम-ठोरा नदी	153520

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद् बक्सर कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 367-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>